मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्र. एफ. 9-1/2002/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय.—शासकीय सेवकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा।
संदर्भ.—वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 25/25/2001/नियम/चार, दिनांक 12-9-2002.

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों को अधिक उदार बनाते हुए इस आशय का निर्णय प्रसारित किया गया है कि अक्टूबर, 2002 या उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों की बाकी सेवावधि को पूरे तौर पर पेंशन और ग्रेच्युटी के लिये गणना में लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान काल्पनिक वेतनवृद्धि जोड़ी जाकर पेंशन और ग्रेच्युटी का निर्धारण होगा। संदर्भित परिपत्र की कंण्डिका-4 द्वारा राज्य शासन का यह निर्णय भी प्रसारित किया गया है कि नई व्यवस्था के तहत जो शासकीय सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उनके पद स्वयमेव समाप्त हो जावेंगे।

2. शासकीय सेवकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पद स्वयमेव समाप्त होने की शर्त के संबंध में विभागों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों पर विचार कर राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्र. एफ. 25-25/2001/नियम/चार, दिनांक 12-9-2002 की कण्डिका-4 के अनुसार शासकीय सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण उनके पद खाली होते ही स्वयमेव समाप्त होने की शर्त को निरस्त किया जाय। फलस्वरूप वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 12-9-2002 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले शासकीय सेवकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण उनके पद अब स्वयमेव समाप्त नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।

पृष्ठांकन क्र. एफ. 9-01/2002/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि :

1. शासन के समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त कलेक्टर।
6. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
7. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
8. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश शासन।
14. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर।
17. महालेखाकार, लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
18. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
20. आयुक्त, जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
21. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये।
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी), मंत्रालय, भोपाल।
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
26. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
27. संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों।
29. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(पी. सी. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।

शाकेमुभो—1523—उसविविमंभो—21-12-2004—800.